(115)

3-2004 नि

पुनरीक्षण प्रकरण क्र० : 104-05

28/1/05

मानननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

R 206 PBR/2005

भागीरथ पिता दौला
जाति-भील, आयु-वयस्क, धंधा-कृषि व मजदूरी
निवासी - हेमदा, तहसील-धरमपुरी, जिला-धार --- प्राथी

वि रु द्ध

1. अलकाबाई विधवा हुकुमचंद
2. विनिताबाई पिता हुकुमचंद
3. लोकेन्द्र पिता हुकुमचंद

सभी निवासी - ग्राम-पुन्द्रेल, तहसील-धरमपुरी, जिला - धार

4. म० प्र० राज्य द्वारा अनु-विभागीय अधिकारी महोदय, मनावर, गंधवानी, जिला-धार प्रतिअपीलार्थीगण

निगरानी आवेदन-पत्र :- अन्तर्गत् धारा 50, म० प्र० भू-राजस्व संहिता के तहत

श्रीमती सूरज डामोर, अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा दिनांक 17-11-2004 को निगरानी प्रकरण क्रमांक 129/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2004 से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर प्राथी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथा अन्य आधारों पर, नियत समयावधि में, योग्य मुद्रा - पत्रों पर सादर प्रस्तुत करता है :-

निगरानी के आधार :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 206-PBR/05 जिला EDR

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में लम्बे समय से आवेदकपक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो रहे है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । संबंधित निगरानीधीन आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है । उभयपक्ष को वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय में अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध है । अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति व अरूचि के कारण यह निगरानी को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	